कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः– 865 दिनांकः– 24/8/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लि0 मौजा–बड़ाजामदा जिला–पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– वन विभागीय पत्रांक 2097 दिनांक 26.07.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के संबंध में सूचित करना हैं कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं0 FP/JH/ENCRH/42933/2019 हेतु कुल **1.66** हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर वन विभागीय पत्रांक 2097 दिनांक 26.07.2022 द्वारा कुल 06 बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है।

विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के पत्रांक 1168 दिनांक 21.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	पृच्छित बिन्दु	अनुपालन
i	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड का मंतव्य।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड के पत्रांक 979 दिनांक 16.08.2022 द्वारा उनके मंतव्य इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। **अनु0–1A**
ii	प्रस्तावित पूर्ण जंगल–झाड़ी भूमि का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र।	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा द्वारा सूचित किया गया है कि सक्षम पदाधिकारी उपायुक्त, जिला–पश्चिमी सिंहभूम के ज्ञापांक 378(B)रा0 दिनांक 28.12.2015 द्वारा 0.11 हे0 तथा ज्ञापांक 669 (B)रा0 दिनांक 31.08.2015 द्वारा 4.00 हे0 कुल 4.11 हे0 हेतु प्रस्तावित पूर्ण जंगल–झाड़ी भूमि का अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। **अनु0–01**
iii	FRA प्रमाण–पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा द्वारा सूचित किया गया है कि उपायुक्त, जिला–पश्चिमी सिंहभूम के पत्रांक 532(B) दिनांक 22.03.2023 द्वारा प्रस्तावित कुल 4.11 एकड वनभूमि हेतु FRA प्रमाण पत्र प्राप्त है। एवं इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही की प्रति भी संलग्न है। **अनु0–02**
iv	विषयक प्रस्ताव में EIA Notification 1994 के आलोक में क्या Environment Clearance प्राप्त करना अनिवार्य था अथवा नहीं, से संबंधित प्रतिवेदन।	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक शून्य दिनांक 26.05.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि EIA Notification 1994 के अनुसार 100 करोड़ से कम के निवेश को Environment Clearance के दायरे से बाहर रखा गया है। अतः 100 करोड़ से कम निवेश के कारण EIA Notification 1994 के आलोक

		में Environment Clearance प्राप्त करना अनिवार्य नहीं था। (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित आवेदन तथा EIA Notification 1994 की छायाप्रति संलग्न। EIA Notification 1994 के पृष्ठ संख्या 03 बिन्दु संख्या 3(b) तथा पृष्ठ संख्या 05 के बिन्दु संख्या 13 का अवलोकन किया जा सकता है। **अनु0–03** इसी क्रम में यह भी सूचित करना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता दी गयी है कि "Environment Clearance" प्राप्त करने की कार्रवाई Process में है। **अनु0–03-A**
v	पार्ट–II की कंडिका–8(ii) में अंकित सूचना तथा नोडल पदाधिकारी के पत्रांक 519 दिनांक 20.08.2022 की कंडिका–20 में अंकित सूचना में विरोधाभाष का स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा द्वारा इस सन्दर्भ में सूचित किया गया है चूँकि प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है। परंन्तु प्रस्तावित वनभूमि सिंहभूम गज आरक्ष्य एरिया में अवस्थित है। अतः इस आशय की सूचना नोडल पदाधिकारी के पत्रांक 519 दिनांक 20.06.2022 के कंडिका सं0 20 में प्रतिवेदित है। Part-II के बिन्दु संख्या–8(ii) में नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व के आलावा Elephant Corridor/Wildlife Migration Corridor के संबंध में भी सूचना मांगी गयी है। चूँकि संपूर्ण चाईबासा वन प्रमंडल गज आरक्ष्य के रूप अधिसूचित है। यद्यपि चाईबासा वन प्रमंडल अंतर्गत अधिसूचित Elephant Corridor/Wildlife Migration Corridor नहीं है। परंन्तु हाथियों की आवाजाही सालों भर बनी रहती है। हाथियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए ही बिन्दु संख्या–8(ii) में yes लिखा गया है।
vi	विषयक प्रस्ताव में किए गये उल्लंघन के विरूद्ध की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा द्वारा इस सन्दर्भ में सूचित किया गया है कि विषयक प्रस्ताव में अधिसूचित वनभूमि सम्मिलित नहीं है। अतः भारतीय अधिनियम (बिहार संशोधन अधिनियम 09 / 1990) 1927 के तहत कार्रवाई नहीं की गयी है। विषयक प्रस्ताव में गैर वनभूमि, जंगल–झाड़ी सन्निहत है। अतः Penal PCA/Penal NPV की शर्त अधिरोपित की जा सकती है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की दो प्रतियां इस पत्र के साथ सलंग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना प्रस्ताव हेतु कुल **1.66 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़ी)** अपयोजन **(नियमितिकरण)** हेतु स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं HoFF, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0:–यथोक्त।
अनुपालन प्रतिवेदन दो प्रतियों में।

विश्वासभाजन

25/8/23

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

24.8.23

H:\Vikash\Kaimuddin Sir\श्री बालाजी इन्डस्ट्री स्पंज प्लांल 1.66 हे0.docx

(174)

कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

(संयुक्त वन भवन कार्यालय चाईबासा, पो०–चाईबासा, प० सिंहभूम,
पिन–833201) दूरभाष–06582-256332 (0)Mail.gov.in-cf-chaibasa@gov.in

पत्र संख्याः CHAI/MIN/...1168.........

2200
28/7/2023

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

चाईबासा, दिनांक – 21-07.2023

विषयः– श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज इंजिनियरिंग लिमिटेड मौजा–बड़ाजामदा, जिला–पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– (1) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्र संख्या वनभूमि–21/2022–2097 दिनांक 26.07.2022
(2) भवदीय ज्ञापांक 688 दिनांक 27.07.2022
(3) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल का पत्रांक 1102 दिनांक 26.06.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज इंजिनियरिंग लिमिटेड मौजा–बड़ाजामदा, जिला–पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 998 दिनांक 08.06.2022 द्वारा प्रस्ताव भवदीय को अग्रसारित किया गया है।

विषयक प्रस्ताव के सन्दर्भ में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रासंगिक पत्र–01 द्वारा कुल 06 (छः) बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए प्रतिवेदन की मांग की गयी है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक 1102 दिनांक 26.06.2023 द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का अनुपालन उपलब्ध कराया गया था। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये वांछित अनुपालन की समीक्षोपरान्त कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक 1010 दिनांक 15.06.2023 द्वारा पुनः अनुपालन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। उक्त निदेश के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल के प्रासंगिक पत्र–03 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पुनः वांछित अनुपालन प्रतिवेदन बिन्दुवार उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है :–

क.सं.	पृच्छित बिन्दु	अनुपालन
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंतव्य	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पृच्छित बिन्दु संख्या–01 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय से संबंधित है।
2	प्रस्तावित पूर्ण जंगल–झाड़ी भूमि का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा सूचित किया गया है कि सक्षम पदाधिकारी उपायुक्त, जिला–पश्चिमी सिंहभूम के ज्ञापांक 378(A) दिनांक 28.12.2022 द्वारा 0.11 हे० तथा ज्ञापांक 669 (B)/रा० दिनांक 31.08.2015 द्वारा 4.00 हे०, कुल 4.11 हे० हेतु प्रस्तावित पूर्ण जंगल–झाड़ी भूमि का अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। **अनु०–01 के रूप में संलग्न।**
3	FRA प्रमाण पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा उपायुक्त, जिला–पश्चिमी सिंहभूम के पत्रांक 532(B) दिनांक 22.03.2023 द्वारा प्रस्तावित FRA प्रमाण पत्र एवं इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है। **अनु०–02 के रूप में संलग्न।**

4	विषयक प्रस्ताव में EIA Notification 1994 के आलोक में क्या Environment Clearance प्राप्त करना अनिवार्य था अथवा नहीं, से संबंधित प्रतिवेदन।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक शून्य दिनांक 26.05.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि EIA Notification 1994 के अनुसार 100 करोड़ से कम के निवेश को Environment Clearance के दायरे से बाहर रखा गया है। अतः 100 करोड़ से कम निवेश के कारण EIA Notification 1994 के आलोक में Environment Clearance प्राप्त करना अनिवार्य नहीं था। (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित आवेदन तथा EIA Notification 1994 की छायाप्रति संलग्न)। EIA Notification 1994 के पृष्ठ संख्या 03 बिन्दु संख्याः–3(b) तथा पृष्ठ संख्या 05 के बिन्दु संख्याः–13 का अवलोकन किया जा सकता है। अनु०–03।
5	पार्ट–II की कंडिका–8(ii) में अंकित सूचना तथा नोडल पदाधिकारी के पत्रांक 519 दिनांक 20.06.2022 की कंडिका–20 में अंकित सूचना में विरोधाभाष को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा इस सन्दर्भ में सूचित किया गया है कि चूँकि प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है। परंतु प्रस्तावित वनभूमि सिंहभूम गज आरक्ष्य एरिया में अवस्थित है। अतः इस आशय की सूचना नोडल पदाधिकारी के पत्रांक 519 दिनांक 20.06.2022 के कंडिका सं०–20 में प्रतिवेदित है। Part-II के बिन्दु संख्या–8(ii) में नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व के आलावा Elephant Corridor/Wildlife Migration Corridor के संबंध में भी सूचना मांगी गयी है। चूँकि संपूर्ण चाईबासा वन प्रमण्डल गज आरक्ष्य के रूप अधिसूचित है। यद्यपि चाईबासा वन प्रमण्डल अंतर्गत अधिसूचित Elephant Corridor/Wildlife Migration Corridor नहीं है। परंतु हाथियों की आवाजाही सालों भर बनी रहती है। हाथियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए ही बिन्दु संख्या–8(ii) में yes लिखा गया है।
6	विषयक प्रस्ताव में किए गये उल्लंघन के विरूद्ध की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा इस सन्दर्भ में सूचित किया गया है कि विषयक प्रस्ताव में अधिसूचित वनभूमि सम्मिलित नहीं है। अतः भारतीय अधिनियम (बिहार संशोधन अधिनियम 09/1990) 1927 के तहत कार्रवाई नहीं की गयी है। विषयक प्रस्ताव में गैर वनभूमि, जंगल–झाड़ी सन्निहत है। अतः Penal PCA/Penal NPV की शर्त्त अधिरोपित की जा सकती है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा के प्रासंगिक पत्र–02 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन की प्रतियाँ सभी अनुलग्नकों सहित 02 (दो) प्रतियों में अत्र–सह संलग्न कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

संबंधित परियोजना की संचिका पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। साथ हीं इसे PARIVESH PORTAL पर Upload कर दिया गया है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

21/02/2023

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।